संपादकीय

श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा, बेहतर तालमेल के संकेत

श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर जो संदेश देना चाहा, वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप में रेखांकित हुआ। सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में नई दिल्ली को आश्वस्त किया कि वह श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे। यह आश्वासन इस मायने में अहम है कि श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और सपोर्ट करने वाले चीनी जहाजों का खड़ा होना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। फिलहाल जरूर श्रीलंका ने इन जहाजों के आने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक की समयसीमा अगले साल की शुरुआत में ही समाप्त होने वाली है। देखना होगा कि दिसानायके सरकार भारत से किए अपने इस वादे को आगे किस तरह से पूरा करती है। खास बात यह कि इस यात्रा में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के दीर्घकालिक नजरिये की झलक मिली। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने मुसीबत के समय उनके देश की जिस तत्परता से मदद की वह महत्वपूर्ण है और वह चाहते हैं कि भारत की मदद जारी रहे। इस संदर्भ में संयुक्त बयान की यह बात अहम हो जाती है कि दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों को लेकर पैदा होने वाली पारंपरिक और गैरपारंपरिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने और इस क्षेत्र को 'मुक्त, खुला व सुरक्षित' बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी का एक संकेत यह तथ्य भी है कि बदले हालात में दोनों पक्ष एक-दूसरे की मुश्किलों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक उदाहरण तमिल मुद्दे पर भारत के पुराने रुख में दिखा लचीलापन भी माना जा सकता है। भारत ने यह उम्मीद जरूर दोहराई कि श्रीलंका संविधान पर पूरी तरह अमल करते हुए प्रॉविंशियल काउंसिल के चुनाव कराएगा, लेकिन बयान में संविधान के 13वें संशोधन के जिक्र से बचा गया, जिसके मुताबिक तमिल अल्पसंख्यकों को ताकत देने की बात है। यह घरेलू मोर्चे पर दिसानायके सरकार के लिए राहत की बात मानी जा रही है। दिसानायके अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीनी कर्ज का जो बोझ आज भी श्रीलंका पर है, उसके मद्देनजर उन्हें चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही बढ़ना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि इस क्रम में वह भारत की चिंताओं को किस तरह से और किस हद तक प्राथमिकता में बनाए रखते हैं।

आज संसद में सांसदों का व्यवहार शर्म की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। पूरे देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा है, ताकि वे सांसद के रूप में देश की भलाई के लिए नीति एवं नियम बनाएं, उसे लागू कराएं और जनजीवन को सुरक्षित तथा खुशहाल बनाते हुए देश का विकास करें। संसद की सदस्यता की शपथ लेते समय सांसदगण इन सब बातों को ध्यान में रखने की कसम भी खाते हैं, लेकिन उनकी कसम बेबुनियाद ही होते हुए संसद की मर्यादाओं को आहत कर रही है। बीते कुछ समय से धरना-प्रदर्शन के साथ सड़क पर राजनीतिक दमखम दिखाने वाले नजारे संसद के दोनों सदनों में भी दिखने लगे हैं। भौतिक रूप से छीना-झपटी और हाथापाई की नौबत भी दिखती रही है और विचाराधीन विषय से दूर एक-दूसरे को हीन साबित करना ही उद्देश्य बन गया है।

संसद की गरिमा का दांव पर लगना चिन्ताजनक

ललित गर्ग

संविधान-निर्माता भीमराव आंबेडकर को लेकर भारतीय संसद में जो दृश्य पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, वे न केवल शर्मसार करने वाले है बल्कि संसदीय गरिमा को धुंधलाने वाले हैं। अंबेडकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों पक्षों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथापाई भी हुई जिसमें भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी को नियमों का पालन करना पड़ेगा।

संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय संसद के प्रांगण में जिस तरह की अशोभनीय एवं त्रासद स्थिति का उत्पन्न हुई है, वे हर लिहाज से दुखद, विडम्बनापूर्ण और निंदनीय है। आरोप-प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है, मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता, द्वेष, नफरत की स्थितियां उग्रतर हो गई हो। और तो और, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों को लेकर पुलिस में मामला दर्ज होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुखद एवं अशालीन स्थितियों का उपचार न किया गया, तो संसद में काफी कुछ अप्रिय एवं अशोभनीय होने की आशंकाएं बलशाली होगी।

कहना न होगा कि देश की संसद लोकतंत्र के वैचारिक शिखर और देश की संप्रभुता को रेखांकित करने वाला शिखर संस्थान है। इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों का मूल कर्तव्य बन जाता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा होती है कि वे संसद की गरिमा को भंग न करे, अपना आचरण शुद्ध, शालीन एवं व्यवस्थित रखेंगे और व्यर्थ की बयानबाजी, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार की जगह सार्थक बहस की संभावनाओं को उजागर करें। भारत की परंपरा कहती है कि वह सभा, सभा नहीं, जिसमें शालीनता एवं मर्यादा न हो। वह संसद संसद नहीं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा न करें। वह धर्म, धर्म नहीं, जिसमें सत्य न हो। वह सत्य, सत्य नहीं जो कपटपूर्ण हो। आज संसद में सांसदों का व्यवहार शर्म की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। पूरे देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा है, ताकि वे सांसद के रूप में देश की भलाई के लिए नीति एवं नियम बनाएं, उसे लागू कराएं और जनजीवन को सुरक्षित तथा खुशहाल बनाते हुए देश का विकास करें। संसद की सदस्यता की शपथ लेते समय सांसदगण इन सब बातों को ध्यान में रखने की कसम भी खाते हैं, लेकिन उनकी कसम बेबुनियाद ही होते हुए संसद की मर्यादाओं को आहत कर रही है। बीते कुछ समय से धरना-प्रदर्शन के साथ सड़क पर राजनीतिक दमखम दिखाने वाले नजारे संसद के दोनों सदनों में भी दिखने लगे हैं। भौतिक रूप से छीना-झपटी और हाथापाई की नौबत भी दिखती रही है और विचाराधीन विषय से दूर एक-दूसरे को हीन साबित करना ही उद्देश्य बन गया है। संसद का मूल्यवान समय बर्बाद हो रहा है, यह इससे स्पष्ट

होता है कि पहली लोकसभा में हर साल 135 दिन बैठकें आयोजित हुई थीं। आज स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि पिछली लोकसभा में हर साल औसतन 55 दिन ही बैठकें आयोजित हुई। नयी लोकसभा की स्थिति तो और भी दुखद एवं दयनीय है। संसद में काम न होना, बार-बार संसदीय अवरोध होना तो त्रासद है ही, लेकिन धक्का-मुक्की तक नौबत पहुंचना ज्यादा चिन्ताजनक है। कोई भी दल हो, किसी भी दल के सांसद हो, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान, दोनों ही सांसदों से उच्च गरिमा एवं मर्यादाओं की अपेक्षा करते हैं। संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है, यह किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर-आजमाइश का मंच न बने, इसी में देश की भलाई है, लोकतंत्र की अक्षुण्णता है। सार्थक और उत्पादक संवाद के लिए हर सांसद को संविधान का ज्ञान, संसदीय परंपराओं की जानकारी एवं उनके प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत कम सांसद ही इस ओर ध्यान देते हैं। मुखर प्रवक्ता के रूप में विपक्ष के कई सांसद अक्सर बेलगाम, फूहड एवं स्तरहीन आरोप-प्रत्यारोप दर्ज कराने में जुट जाते हैं। आधी-अधूरी सूचनाओं या गलत जानकारी के साथ विपक्ष के नेता सरकारी पक्ष को आरोपित करने में जुट जाते हैं, बयानों तो तोड़मरोड़ का प्रस्तुत करते हैं। निश्चित ही विपक्ष लगातार अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता दिख रहा है। वह सरकार को घेरने और आरोपित करने के उद्देश्य से संसद के कार्य में अक्सर व्यवधान डालता है। लगता है विपक्ष का मकसद यही हो गया है कि संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से न चल सके और सरकार की विफलता दर्ज हो। इस तरह की विपक्ष की बौखलाहट का बड़ा कारण भाजपा की लगातार चमत्कारी जीत है।

सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर संसद जोर आजमाइश एवं हिंसा का अखाड़ा होकर बात एफआईआर की राजनीति तक बढ़ेगी, तो संसद का संचालन जटिल से जटिलतर होता जायेगा। संसद में तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव और तल्खी का इतिहास रहा है, पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं, जब शारीरिक बल का दुरुपयोग देखा गया है। संसद भवन के प्रांगण में ही नहीं, बल्कि देश में कहीं भी सांसदों को ऐसे आमने-सामने नहीं आना चाहिए, जैसे गुरुवार को देश ने देखा है। संसद भवन के प्रांगण में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की मदद से कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी कौन है? दुध का दुध एवं पानी का पानी हो और सच सामने आये। सच की जीत हो और झूठ नैस्तनाबूद हो। अगर किसी सांसद के सिर में चोट लगी है, तो यह वैसे भी गंभीर मसला है। भाजपा सांसद सारंगी ने यही बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वजह से एक व्यक्ति उनसे टकराया और वह गिर गए। ऐसा ही आरोप कांग्रेस ने भी लगाया है। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, पर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आए। यदि सच सामने न आए, तो कम से कम सभी सांसद ऐसी स्थिति फिर न बनने दें, इसके लिये संकल्पित हो।

शीतकालीन सत्र में आंबेडकर के नाम पर संसद के भीतर-बाहर जो कुछ हो रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल संसद की गरिमा से जानबूझकर खिलवाड़ करने पर तूले है। यह मानना अविश्वसनीय है कि यह धक्का-मुक्की अनजाने में हुई। राहुल गांधी आक्रामक ढंग से एक महिला सांसद के निकट जाकर उन्हें असहज करना तो बहुत ही शर्मनाक एवं कहीं अधिक फूहड़ है। पता नहीं किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उक्त घटना संसद ही नहीं, देश को भी शर्मिंदा करने वाली है।

राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि वह मर्यादा से विहीन दिखने लगे। ऐसी राजनीति केवल धिक्कार की पात्र होती है। संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाली ऐसी घटनाएं सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती कटुता का ही नतीजा है, जो देश के हित में नहीं है। पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती शत्रुता न केवल भारतीय राजनीति बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक हैं। दोनों पक्षों के बीच शत्रु भाव कम होने के कोई आसार इसलिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे सतह पर लाए जा रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं बनता और जिनका मकसद लोगों को बरगलाना एवं गुमराह करना है। बीते कुछ समय से यह जो भय का भूत खड़ा किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, वह राजनीति के छिछले स्तर का ही परिचायक है। कोई बताये तो संविधान कब और कैसे खतरे में आ गया। संसद में ऐसे विषयों को लेकर सार्थक एवं सौहार्दपूर्ण संवाद हो, वाद-विवाद की जगह कटुता न ले, विमर्श और विचार की गंभीरता से ही लोकतंत्र की शक्ति बढ़ेगी। दलगत पसंद और नापसंद स्वाभाविक है, किंतु उससे ऊपर उठकर रचनात्मक भूमिका निभाने का साहस भी जरूरी है। प्रेषक

अतुल के बाद अब करौली के इंजीनियर शुभम व्यास ने भी की आत्महत्या

(पूरन चंद शर्मा-विभूति फीचर्स)

बैंगलोर के अतुल सुसाइड केस से पूरे देश की रूह कांप गई है लेकिन अभी भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं।महिलाओं को संरक्षण देने वाली धारा 498 के बढ़ते दुरुपयोग से निराशा पुरुष अब स्वयं का जीवन समाप्त करने लगे हैं। इन प्रकरणों के चलते समाज में चिंता की लकीर भी झलकने लगी है । विवाहित महिलाओं द्वारा पुरुषों एवं उनके परिजनों को प्रताड़ित करने की घटनाओं में बेहिसाब वृद्धि हो रही है। विवाहित महिलाओं द्वारा 498 का दुरुपयोग किए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिन्ता जाहिर की है। बैंगलोर के अतुल सुसाइड काण्ड ने तो पूरे देश को झकझोर दिया है। अतुल के बाद अब एक और इंजीनियर शुभम व्यास ने मौत को गले लगा लिया है । जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में बीते शनिवार को हेल्थ हॉस्पिटल के पीछे इंजीनियर शुभम व्यास ने पंखे से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के जीजा ने गेट नहीं खुलने पर उसे तोड़ दिया। गेट टूटने पर इंजीनियर फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने शव को पंखे से नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। तीस वर्षीय मृतक शुभम व्यास मूलतः करौली का रहने वाला है और जयपुर के महेश नगर स्थित हेल्थ हॉस्पिटल के पीछे किराए से रहता था। एसआई मुकेश मीणा ने बताया कि सेक्रेटेरिएट में कार्यरत इंजीनियर शुभम व्यास ने पंखे से फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। मृतक के जीजा सत्येंद्र पराशर ने रिपोर्ट में आरोप लगाए हैं कि शुभम की सास और पत्नी काफी समय से उसे लगातार परेशान कर रहे थे। एक साल पहले ही शुभम की शादी हुई थी। कुछ माह रहने के बाद शुभम की पत्नी पीहर चली गई। आए दिन वे लोग शुभम को परिवार समेत झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। तब से वह लगातार परेशान चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पांच बहनों का इकलौता भाई- मृतक के जीजा सत्येंद्र ने बताया कि शुभम अपनी पांच बहनों का इकलौता भाई था। कुछ दिन पहले शुभम ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसे उसकी सास और पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही हैं। इस पर वे उससे बात करने जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचकर उन्होंने जब शुभम को फोन किया तो फोन बंद आया तब उसके कमरे पर जाकर देखा तो शुभम फांसी के फंदे पर लटका था। शुभम की पत्नी कोटा में फिजियोथैरेपिस्ट की जॉब करती है। शुभम के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि महुआ (राजस्थान) निवासी दिव्या शर्मा (मृतक शुभम की पत्नी) एवं दिव्या की माँ ललिता शर्मा द्वारा शादी के बाद से ही लगातार शुभम एवं उसके परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा था। दीपावली पर दिव्या अपनी ससुराल आयी थी लेकिन तब वह पूजा किए बिना सोने के गहने ले कर अपने मायके वापस लौट गयी थी। परिजनों का आरोप है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि दिव्या को दिवाली के दिन ही अपनी माँ के पास महुआ जाना पड़ा? क्या दिव्या अपनी माँ के कहने पर लक्ष्मी पूजन किए बिना अपने पीहर महुआ चली गई? शुभम के परिवार वालों का यह भी आरोप है कि शुभम को यह डर सता रहा था कि उसके ससुराल वाले भविष्य में उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करके उसके परिजनों के लिए परेशानियां खड़ी कर देगें । इसलिए उसने बैंगलोर के अतुल जैसे ही अपने आप को ही समाप्त कर दिया और मौत को गले लगा लिया। उल्लेखनीय है कि शुभम एवं दिव्या की शादी 16 जनवरी 2024 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही वह अपने पति से अलग रहने लगी । शुभम के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दिव्या एवं उसकी माँ ललिता शर्मा करौली के पुस्तैनी मकान को बेचने के लिए भी शुभम पर दबाब डालती थीं। वे शुभम एवं उनके परिजनों को केस में फंसाने की धमकी देती रहती थी,सीधा-साधा शुभम इनके अमानवीय व्यवहार से परेशान रहने लगा और अंततःहताश हो कर 14 दिसम्बर की रात को उसने जयपुर में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जयपुर के महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

(विभूति फीचर्स)

विशेष : हरियाणा प्रदेश के नाम की व्युत्पत्ति

उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मुख्यतः हरयान अथवा हरि?यान शब्द से? मानी जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेज़ी में हरयाणा तथा हिंदी में हरियाणा लिखा जाता है। किंतु मेरे मतानुसार यह थ्योरी गलत है। हर (शिव) और हरि (विष्णु) के इस क्षेत्र में यान द्वारा विचरण करने का सटीक उल्लेख नहीं मिलता। फिर यान के विचरण करने से किसी क्षेत्र ? के नामकरण की बात भी गले नहीं उतरती।

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा वैदिक कालीन शब्द है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है-ऋभुभुक्षस्याने रजतं हरियाणे। रथं युक्तं असनाम सुषामणि। (8: 25: 22) यहाँ प्रयुक्त हरियाणे शब्द के कष्टों को सहने वाला, हरणशील, हरि का यान आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं, किंतु इससे प्रदेश-विशेष के नाम का स्पष्ट बोध नहीं होता। यह कहना है, सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षाविद् डॉ. रामनिवास मानव का। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मुख्यत- हरयान अथवा हरि?यान शब्द से? मानी जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेज़ी में हरयाणा तथा हिंदी में हरियाणा लिखा जाता है। किंतु मेरे मतानुसार यह थ्योरी गलत है। हर (शिव) और हरि (विष्णु) के इस क्षेत्र में यान द्वारा विचरण करने का सटीक उल्लेख नहीं मिलता। फिर यान के विचरण करने से किसी क्षेत्र ? के नामकरण की बात भी गले नहीं उतरती।

हरियाणा के नामकरण संबंधी अन्य मतों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि हरियानक, हरितारण्यक, हरिताणक, आर्यायन, दक्षिणायन, उक्षणायन, हरिधान्यक, हरिबांका आदि शब्दों से हरियाणा की व्युत्पत्ति संबंधी अन्य थ्योरियाँ भी अविश्वसनीय, बल्कि कुछ तो हास्यास्पद लगती हैं। डॉ. बुद्धप्रकाश और प्राणनाथ चोपड़ा ने हरियाणा की व्युत्पत्ति अभिरायण शब्द से मानी है, किंतु इसे भी आंशिक रूप से ही सही माना जा सकता है।

डॉ. मानव ने कहा कि मेरी सुचिंतित और सुनिश्चित मान्यता है कि हरियाणा की व्युत्पत्ति अहिराणा शब्द से हुई है। पशुपालन और कृषि का व्यवसाय करने वाले यदुवंशियों को अभिर या आभीर कहा जाता था, कालांतर में, जिसका तद्भव

रूप अहीर हो गया। अहीर बहादुर योद्धा माने जाते थे, जिनके अस्तित्व के प्रमाण ईसा से छह हजार वर्ष पूर्व भी मिलते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि किसी समय अहीर जाति हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। किंतु वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका पूरा आधिपत्य और संपूर्ण वर्चस्व रहा। अहीरों का बाहुल्य होने के कारण ही इस क्षेत्र को अहिराणा कहा जाने लगा। (जैसे राजपूतों के कारण राजपुताना, मराठों के कारण मराठवाड़ा और भीलों के कारण भीलवाड़ा कहा जाता है।) बाद में, हरियाणवी बोली की उदासीन अक्षरों के लोप की प्रकृति के चलते, अखाड़ा-खाड़ा, अहीर-हीर, उतारणा-तारणा, उठाणा-ठाणा और स्थाण-ठाण की तर्ज पर, अहिराणा से हिराणा और फिर हरयाणा या हरियाणा हो गया। अहिराणा शब्द का अर्थ है- अहीरों का क्षेत्र। इसे अहीरवाल का पर्यायवाची माना जा सकता है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करते हुए डॉ. मानव ने कहा कि इससे भी मेरे मत की पुष्टि होती है। आज भी महाराष्ट्र के खानदेश, जिसे कभी हीरदेश भी कहा जाता था और जिसमें महाराष्ट्र के मालेगांव, नंदुरबार और धुले जिलों के अतिरिक्त नासिक जिले के धरनी, कलवण, सटाणा और बागलान तथा औरंगाबाद जिले के देवला क्षेत्र, गुजरात के सूरत और व्यारा तथा मध्यप्रदेश के अंबा और वरला क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ आज भी अहिराणी बोली, बोली जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और बीस-बाईस लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली अहिराणी का अर्थ है अहीरों की बोली। इससे स्पष्ट है कि अहिराणा और अहिराणी में सीधा संबंध और पूरी समानता है। अंत में, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए, डॉ. मानव ने कहा कि हरयाणा अथवा हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हरयान या हरियान शब्दों से नहीं, बल्कि अहिराणा शब्द से हुई है तथा यह मत पूर्णतया तथ्यपरक, तर्कसंगत और प्रामाणिक है।